



## प्रेस विज्ञप्ति

12.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, मेसर्स एआरजी लिमिटेड, मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और मेसर्स कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ-साथ प्रमोटर अरविंद धाम और अन्य से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 10/07/2025 को 588.57 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्की में अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें यमुनानगर के हुंडेवाला, रतौली और कंसापुर में स्थित 28 एकड़ जमीन और हरियाणा के पंचकूला के कोट और खंगेसरा गांवों में 67.5 एकड़ जमीन के साथ-साथ दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में स्थित अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा, ज़ब्त की गई संपत्तियों में पंकज दयाल के स्वामित्व वाली कंपनी रियलटेक कंस्ट्रक्शन से जुड़े संदिग्ध लेन-देन से जुड़ी संपत्तियाँ भी शामिल हैं। ये लेन-देन तीसरे पक्ष की संपत्तियों से संबंधित हैं, जैसे कि पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर, एमटेक समूह के रियल एस्टेट क्षेत्रों से प्राप्त अपराध की आय के मूल्य के बराबर अन्य डीमैट बैलेंस, जिनमें एमटेक कंपनी से सीधे जुड़ी संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

यह कार्रवाई 5 सितंबर, 2024 को 5,115.31 करोड़ रुपये और 26 मार्च, 2025 को 557.49 करोड़ रुपये की पूर्व अनंतिम कुर्की के बाद की गई है, जिसमें पहली कुर्की की पुष्टि पीएमएलए न्यायाधिकरण द्वारा की जा चुकी है। इस मामले में अब कुल कुर्की 6261.37 करोड़ रुपये हो गई है। ईडी ने पहले 40 से ज़्यादा ठिकानों पर तलाशी ली थी, जिसके बाद अरविंद धाम को गिरफ्तार किया गया और 6 सितंबर, 2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।

ईडी ने मेसर्स एमटेक ऑटो समूह की कंपनियों के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27.02.2024 के निर्देशों और आईडीबीआई बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें बैंक ऋणों के अवैध रूप से दुरुपयोग और बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर 29.04.2025 को अरविंद धाम और एमटेक ऑटो के अन्य पूर्व निदेशकों के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज की है, जिसे दर्ज ईसीआईआर का भी हिस्सा बनाया गया है।

आगे की जांच जारी है।